

गोपी देवी व अन्य बनाम राजस्थान सरकार

संख्या: 344/2024

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष
विवरण

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा

128 व 131 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 का पेश किया।

बहरस प्रार्थी प्रार्थना पत्र पर सुना गया। बहरस प्रार्थी एवं

पत्रावली में संलग्न दरतावेजात का अवलोकन करने पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 131 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिये जाते हैं कि प्रार्थी की वाके ग्राम मानपुर नांगलिया व ग्राम नेवटा, भू0अ0नि0क्षे0 कलवाडा तह0 सांगानेर जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर

2122/1, 2124/1 का सेग्रिकेशन के पूर्व की स्थिति नक्शे में शुद्ध करने के आदेश दिये जाते हैं वशर्ते कि किसी आदेश से नक्शे में बदलाव न हुआ हो। साथ ही पत्थरगढी के लिए प्रार्थी

सीमाज्ञान का प्रार्थना पत्र तहसीलदार सांगानेर को पेश करे। उक्त सीमाज्ञान के आधार पर तहसीलदार सांगानेर प्रार्थी के उक्त खसरा नम्बरान् की पत्थरगढी करना सुनिश्चित करे।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.11.2024 को सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)

आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी

जयपुर-द्वितीय (सांगानेर),

जयपुर

